

# झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू-कॉपरेटिव बिल्डिंग  
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा  
राँची-834024

☎ 0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528  
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:- jepc.nic.in

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.  
राज्य परियोजना निदेशक

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

पत्रांक : GE/8/73/12-13/.....754.

दिनांक : ...22.4.14...

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-  
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
झारखण्ड शिक्षा परियोजना,  
झारखण्ड ।

विषय: कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के नियमित अनुश्रवण के संबंध में ।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अंकित करना है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रतिवेदन में यह प्रतिवेदित किया गया है कि कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय । इस योजना के अन्तर्गत बालिकाओं को शिक्षण एवं आवासीय व्यवस्था उपलब्ध करायी जाती है । विद्यालय में बालिकाओं को गुणवत् शिक्षा उपलब्ध कराने के साथ-साथ विद्यालय का सफल संचालन भी आवश्यक है । इसके लिए विभिन्न स्तर पर इन विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण आवश्यक है । अतः निदेशित किया जाता है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण निम्नवत् रूप से प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित किया जाय :-

## 1. प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण

- प्रखण्ड स्तर पर एक अनुश्रवण दल का गठन किया जाएगा जिसमें प्रखण्ड स्तर के निम्नांकित पाँच पदाधिकारी / कर्मी होंगे-
  - प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
  - एक प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी,
  - प्रखण्ड के एक वरीय शिक्षिका
  - एक प्रखण्ड साधन सेवी,
  - लेखापाल, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र
 उक्त अनुश्रवण दल में महिला पदाधिकारी/कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाय ।
- उपरोक्त अनुश्रवण दल के द्वारा माह के प्रथम एवं तीसरे सप्ताह में प्रखण्ड में अवस्थित कस्तूरबा विद्यालय का भ्रमण किया जाएगा । इस प्रकार माह में प्रखण्ड स्तर से दो बार अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सकेगा ।
- भ्रमण के क्रम में विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, वित्तीय स्थिति आदि सभी बिंदुओं का अनुश्रवण किया जाएगा एवं अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा ।
- किसी प्रकार की समस्या कि स्थिति में तत्काल स्थानीय स्तर पर समाधान किया जाएगा एवं यदि तत्काल समाधान न हो तो उसकी जानकारी जिला कार्यालय को दी जाएगी ।

**बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव में ये माहौल बनाना है, घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है ।**



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्

न्यू-कॉन्फ्रेटिव बिल्डिंग  
श्यामली कॉलोनी, डोरण्डा  
राँची-834024

पूजा सिंघल, भा.प्र.से.  
राज्य परियोजना निदेशक

☎0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528  
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:-jepc.nic.in

## 2. जिला स्तरीय अनुश्रवण

- जिला स्तर पर एक अनुश्रवण दल का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नांकित पाँच पदाधिकारी/कर्मि होंगे—
  - जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
  - दो वरीय शिक्षिका
  - बालिका शिक्षा प्रभाग प्रभारी— कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय,
  - लेखापाल/लेखापदाधिकारी
- उपरोक्त अनुश्रवण दल के द्वारा माह के प्रारंभ में अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ।
- जिला स्तरीय अनुश्रवण दल का भ्रमण कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाए कि एक माह में जिला के सभी विद्यालयों का अनुश्रवण किया जा सकेगा ।
- भ्रमण के क्रम में विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, वित्तीय स्थिति आदि सभी का विस्तार से अवलोकन किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार शैक्षणिक, वित्तीय एवं गैर शैक्षणिक कार्य में अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा ।


## 3. प्रमण्डल स्तरीय अनुश्रवण

- प्रमण्डल स्तर पर एक अनुश्रवण दल का गठन किया जाएगा जिसमें प्रमण्डल स्तर के निम्नांकित पदाधिकारी/कर्मि होंगे—
  - क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक/प्रमण्डलीय अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
  - प्रमण्डल मुख्यालय के प्रारंभिक विद्यालय के दो वरीय शिक्षिका,
  - प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी
- उपरोक्त अनुश्रवण दल के द्वारा प्रत्येक माह में प्रमण्डल के प्रत्येक जिला का कम से कम दो बार विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा तथा शैक्षणिक, गैर शैक्षणिक एवं वित्तीय मामलों में अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा ।
- अनुश्रवण के क्रम में विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, वित्तीय स्थिति आदि सभी का विस्तार से अवलोकन किया जाएगा ।
- किसी प्रकार की समस्या दृष्टिगोचर होने पर यथोचित कारवाई की जाएगी ।

## 4. राज्य स्तरीय अनुश्रवण

राज्य स्तर से दो-दो महिला पदाधिकारी का अनुश्रवण दल होगा जिनके द्वारा माह में कम से कम पाँच-पाँच जिलों के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा । अनुश्रवण के क्रम में अनुश्रवण दल के सदस्य किसी कस्तूरबा विद्यालय में रात्रि प्रवास करेंगे एवं छात्राओं से बातचीत कर उनके समस्याओं एवं सुझावों से अवगत होंगे । माह विशेष में अनुश्रवण हेतु अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम राज्य परियोजना निदेशक/प्रशासी पदाधिकारी से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे ।

**बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव में ये माहौल बनाना है, घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है ।**

पूजा सिंहल, भा.प्र.से.  
राज्य परियोजना निदेशकसर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें☎0651- 2410509/2410519/2412028, Fax: 0651-2410528  
E-Mail:- jepcranchi@rediffmail.com : Web:-jepc.nic.in

5. प्रखण्ड/जिला/प्रमण्डल अनुश्रवण दल द्वारा अनुश्रवण के पश्चात अनुश्रवण प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा एवं जिला कार्यालय त्रुटियों/अनियमितताओं पर तत्काल यथोचित कार्रवाई करेंगे।
6. प्रत्येक माह का अनुश्रवण प्रतिवेदन अगले माह के 10 तारीख तक संलग्न अनुश्रवण प्रतिवेदन प्रपत्र में जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के हस्ताक्षर से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
7. प्रमण्डल स्तरीय अनुश्रवण प्रतिवेदन सीधे राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।
8. अनुश्रवण दल में कम से कम 50 प्रतिशत महिला पदाधिकारी/कर्मियों को ही रखा जाएगा।
9. प्रखण्ड/जिला/प्रमण्डलीय स्तरीय अनुश्रवण दल द्वारा माह विशेष में किये जाने वाले अनुश्रवण का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम क्रमशः प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक से अनुमोदित करा लेंगे।
10. जिला/प्रमण्डल/राज्य स्तरीय अनुश्रवण दल द्वारा इस प्रकार अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तैयार किया जाएगा कि माह विशेष में एक ही कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का बार-बार अनुश्रवण दल द्वारा अनुश्रवण नहीं किया जाए। प्रखण्ड स्तरीय अनुश्रवण दल द्वारा एक ही कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का कम से कम दो बार अनुश्रवण किया जा सकेगा।
11. प्रखण्ड, जिला एवं प्रमण्डल स्तर पर उपरोक्त विवरणी के अनुरूप अनुश्रवण दल (सदस्यों के सम्पर्क संख्या सहित) का गठन करते हुए प्रतिवेदन दिनांक 02.05.2014 को राज्य स्तरीय बैठक में जिलों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
12. प्रत्येक स्तर से किए जाने वाले अनुश्रवण हेतु अनुश्रवण प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अनुलग्नक: यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(पूजा सिंहल)

राज्य परियोजना निदेशक

ज्ञापांक: GE/8/73/12-13/ 754

दिनांक: 22/04/2014

प्रतिलिपि: 1. सभी उपायुक्त झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2. सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3. सभी वार्डन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(पूजा सिंहल)

राज्य परियोजना निदेशक

बस्ती-बस्ती, गाँव-गाँव में ये माहौल बनाना है, घर-घर में शिक्षा का दीप जलाना है।



**झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची**  
**कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय का अनुश्रवण प्रपत्र**

अनुश्रवण किए गए विद्यालय का नाम (संपर्क संख्या सहित) :-

अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारी का नाम :-

अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारी का पदनाम :-

अनुश्रवण तिथि एवं समय :-

अनुश्रवण का प्रकार :-

**1. नामांकन/उपस्थिति की स्थिति :-**

कक्षा	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति		पिछड़ा वर्ग		मुस्लिम अल्पसंख्यक		बी.पी.एल. /अन्य		कुल	
	नामांकन	उपस्थिति	नामांकन	उपस्थिति	नामांकन	उपस्थिति	नामांकन	उपस्थिति	नामांकन	उपस्थिति	नामांकन	उपस्थिति
VI												
VII												
VIII												
उप कुल												
IX												
X												
XI												
XII												
उप कुल												
कुल												

**2. शिक्षिका/शिक्षकेतर कर्मियों की स्थिति :-**

	कार्यरत पूर्णकालिक शिक्षिका	कार्यरत अंशकालिक शिक्षिका	लेखापाल-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	रसोईया	चौकीदार
कार्यरत संख्या					
उपस्थिति					

**3. विद्यालय भवन :-**

भवन निर्माण की स्थिति	योजना एवं लागत राशि	अपने भवन में संचालित/अन्य भवन	विद्यालय में चहारदीवारी	विद्यालय में बिजली की व्यवस्था	विद्यालय में पानी की व्यवस्था	अभ्युक्ति

4. वर्गकक्ष की व्यवस्था :-

बेंच/डेस्क उपलब्ध	श्यामपट्ट उपयोग करने योग्य	बालिकाओं को पाठ्यपुस्तक उपलब्ध है या नहीं	शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग किया जा रहा है या नहीं	लाइब्रेरी का उपयोग किया जा रहा है या नहीं	प्रयोगशाला का उपयोग किया जा रहा है या नहीं	अभ्युक्ति

5. बालिकाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण का संचालन :

विशेष प्रशिक्षण	वर्ग 6	वर्ग 7	वर्ग 8	वर्ग 9	वर्ग 10	वर्ग 11	वर्ग 12
विषय -							
संचालित कक्षा की संख्या							
विषय -							
संचालित कक्षा की संख्या							

6. बालिकाओं का सत्त एवं व्यापक मूल्यांकन तथा शिक्षिकाओं का शैक्षिक कार्य प्रदर्शन :-

क्र.सं.	गतिविधि	अभ्युक्ति
1	बालिकावार प्रगति का संधारण	
2	रिपोर्ट कार्ड का संधारण एवं रख-रखाव	
3	परियोजना कार्य कराया जा रहा है या नहीं	
4	समूह कार्य कराया जा रहा है या नहीं	
5	सत्र योजना उपलब्ध है या नहीं	
6	कक्षा कार्य के दौरान संबंधित शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग हो रहा है या नहीं	
7	समय के साथ पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा रहा है या नहीं	
8	छात्रा केन्द्रित गतिविधि आधारित शिक्षण कार्य हो रहा है या नहीं	
9	शिक्षिका द्वारा सहज भाषा का उपयोग हो रहा है या नहीं	
10	छात्राओं के शैक्षिक स्तर को पहचानते हुए उनके स्तर में वृद्धि हेतु शिक्षिका द्वारा सुझाव दिया जा रहा है या नहीं	
11	बालिकाओं के प्रति आदर तथा उनका ध्यान रखना एवं उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है या नहीं	

7. अन्य गतिविधियाँ :-

खेल-कूद	जीवन कौशल प्रशिक्षण	महापुरुषों की जयंती का आयोजन	विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन	किशोरी शिक्षा (उड़ान) सत्र का आयोजन	बाल संसद की गतिविधि	शिक्षक-अभिभावक बैठक का आयोजन

8. विद्यालय समिति :-

विद्यालय प्रबंधन समिति			विद्यालय क्रय समिति			
बैठक आयोजन की तिथि	बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या	बैठक की कार्यवाही	बैठक आयोजन की तिथि	बैठक में भाग लेने वाले सदस्य	बैठक का प्रतिवेदन बनाया गया या नहीं	बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन किया गया या नहीं

9. छात्रावास व्यवस्था :-

आश्रम मॉडल के अनुसार व्यवस्था/अन्य व्यवस्था	सभी बालिकाओं के लिए बिछावन उपलब्ध है या नहीं	मेन्यू के अनुसार भोजन व्यवस्था की जा रही है या नहीं	रोजमर्रा के आवश्यक चीजों की व्यवस्था की जा रही है या नहीं	हॉस्टल का नियमित साफ-सफाई हो रहा है या नहीं	बागवानी की जा रही है या नहीं

10. वित्तीय स्थिति :-

Opening Balance (As on 01-04-2014)	चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि	उपलब्ध कुल राशि	अद्यतन व्यय की गई राशि	अवशेष

11. अन्यान्य :-

अवलोकन किए गए अन्य बिन्दु	स्थिति	अभ्युक्ति



12. विद्यालय भ्रमण के दौरान विद्यालय को दिए गए अनुसमर्थन / सुझाव :

अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारी

का

नाम एवं हस्ताक्षर